न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 70/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हिम्मतराम पुत्र लखमाजी जाति मेघवाल निवासी देसूरी तहसील देसूरी		1 नेनाराम पुत्र लखमाजी जाति मेघवाल निवासी देसूरी तहसील देसूरी 2 अमरीबाई पत्नी लखमाजी जाति मेघवाल निवासी देसूरी तहसील देसूरी 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 5.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 85/2012 हिम्मतराम बनाम नेनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम देसूरी केखसरा नम्बर 3148 रकबा 2.43 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के विभाजन एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद तथा उक्त वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं का किसी भी रूप में विवेचन किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा आता है। इस भूमि में कुंआ खुदा हुआ है, जिसमें भी उपरोक्तानुसार ही हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में स्थित कुंए से पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि की काश्त करते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाण्ट को उक्त कुंए से पानी नहीं देने एवं कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अन्तरिम व्यादेश पारित किया। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 सहित शांति पुत्री लिखमाजी का हिस्सा होना बताते हुए भूमि में पृथक पृथक रूप से 1/12–1/12 हिस्सा होने का कथन किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। इस आदेश के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा केवियट प्रस्तुत की, जिसमें अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त होने पर उक्त जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया था, उसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी राजीनामें का बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट से किसी प्रकार का राजीनामा हुआ ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3149, 3150, 3151, 3152 की भूमि लिखमा एवं उसने भाईयों की सह खातेदारी की भूमि है, जिसमें लिखमा के फौत होन पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज हुआ है, किन्तु जैर अपील वादस्थ भूमि इससे पृथक है, जिसका लिखमा अकेला ही खातेदार था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस भूमि को भी अन्य भूमियों के साथ मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। शांतिदेवी ने समस्त नामान्तरकरणों की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर पाली में प्रस्तुत की, जिसमें नामान्तरकरण खारिज किए जाकर तहसीलदार देसूरी को रिमाण्ड किए, उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण को बहाल रखा गया तथा उक्त भूमि में शांति का अधिकार नहीं माना। इसके अतिरिक्त कूंपाराम व पीथाराम द्वारा भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना कि सह खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के किसी भी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन नहीं किया है। यदि परिस्थिति विपरित हो तो एक सह खातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें एवं मूल वाद के निर्णय तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 516, आर0आर0डी0 1980 पेज 338 तथा आर0आर0डी0 1978 पेज 33 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संयुक्त हिन्दू परिवार की मिताक्षरा विधि से शासित होते है। इस कारण उक्त भूमि मैं समस्त खातेदारान का हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में लिखमा की पुत्री शांति का नाम दर्ज नहीं है, किन्तु शांति का भी इस भूमि में हक हिस्सा निहित है। इस अनुरूप उक्त भूमि में समस्त खातेदारान का 1/12 – 1/12 हिस्सा आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलाण्ट की माता है, जिसका कथन है कि उक्त भूमि में देवर जेठ का भी हिस्सा निहित है, जबकि अपीलाण्ट पुत्र का यह कथन है कि उक्त समस्त भूमि हमारी है, जबकि अन्य खसरा नम्बरान की भूमि में यह 1/3 हिस्सा होना स्वीकार करते है। मात्र जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में सहवन से लिखमा अकेले का नाम दर्ज कर देने मात्र से यह भूमि अन्य खसरा नम्बरान से पृथक नहीं हो जाती है। अपीलाण्ट 1/3 हिस्सा होने का अनुतोष चाहते है, जो देय नहीं है। जब तक विभाजन नहीं हो जाता, तब तक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट ने इस भूमि में किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया है। इस भूमि में होने वाले समस्त व्यय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने किए है तथा इसका अनुचित लाभ अपीलाण्ट प्राप्त करना चाहता है, जो देय नहीं है। बेरे की भूमि पर जो विद्युत कनेक्शन आदि हुए है, वह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से है तथा समस्त प्रकार के व्यय का निर्वाहन भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा किया गया है, अपीलाण्ट का इसमें किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3148 रकबा 2.43 हैक्टेयर की भूमि लिखमा की खातेदारी भूमि दर्ज थी, जो लिखमा के फौत होने पर उसके विधिक वारिशान अपीलाण्ट हिम्मतराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेनाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अमरी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि लिखमा को आवंटन होने के परिणाम स्वरूप लिखमा का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में आवंटन नियमों की पालना करने के कारण गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने उक्त भूमि को लिखमा की खातेदारी होकर लिखमा फोत होने पर स्वयं एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना बताते हुए, उक्त भूमि में खुदे हुए कुंए से सिंचाई में अवरोध एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना जाहिर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि के विधिक विभाजन एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद विवाद की स्थिति से बचने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें यह जाहिर किया कि उक्त भूमि सहित अन्य भूमियां लखमा एवं उसके भाईयों की पुश्तैनी भूमि है। जैर अपील भूमि भी पुश्तैनी होना बताया तथा साथ ही यह भी जाहिर किया कि मिताक्षरा विधि से संयुक्त हिन्दु परिवार के एक सदस्य लखमाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया गया है, जबकि उक्त भूमि में लखमाराम व उसके भाईयों कूपाराम, पीथाराम का कब्जा काश्त होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कूपाराम व पीथाराम पि0 गलाजी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित कराने का निवेदन किया, जिसका प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात से पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन रही, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। हालांकि यह स्वीकृत तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों में एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु संयुक्त खातेदारी भूमि में एक सह खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा किए गए कार्य से दूसरे सह खातेदार के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडता हो, तो एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है, जैसा कि आर0आर0टी0 2003(1) में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में विवेचित नहीं किया है। इन तीनों बिन्दुओं का विनिश्चय किए बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 85/2012 हिममतराम बनाम नेनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में निर्णय से शेष प्रार्थना पत्रों को निर्णित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपरिमित क्षति पर विस्तृत विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली